

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 207]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 9, 2009/कार्तिक 18, 1931

No. 207]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 9, 2009/KARTIKA 18, 1931

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2009

सं. 2/11(5)/03-बीईई. 2.— कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे ब्यूरो, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (झ) के साथ पठित धारा 14 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (1) के अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है प्रकाशित किया जाता है इसके द्वारा और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऐसे किसी आक्षेप या सुझाव पर जो उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में पैंतालीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, ब्यूरो द्वारा विचार किया जाएगा।

आक्षेप या सुझाव यदि कोई हों, उन्हें महानिदेशक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, चौथा तल, सेवा भवन, आर.के.पुरम सेक्टर 1 नई दिल्ली 110066 को भेजे जा सकेंगे।

प्रारूप विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुकूलक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और शीति) विनियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुकूलक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) संशोधन विनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के विनियम 2 के उपविनियम (1) में,—

(क) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(कक)” “प्ररूप” से इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत हैं,

(ख) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(गक)” “अनुज्ञा-पत्र धारी” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको विनियम 7 के अधीन अनुज्ञा मंजूर की गई है ;”;

3. मूल विनियम में विनियम 5, के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“6. लेबल के संप्रदर्श के लिए अनुज्ञा—(1) ब्यूरो की अनुज्ञा प्राप्ति के बिना कोई लेबल कक्ष वातानुकूलक पर नहीं लगाया जाएगा ।

(2) उपविनियम (1) के अधीन ब्यूरो की अनुज्ञा प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आवेदन प्ररूप । या इलेक्ट्रानिक रूप में किया जाएगा ।

परंतु कक्ष वातानुकूलक के प्रत्येक मॉडल के लिए पृथक आवेदन किया जाएगा ।

(3) उपविनियम (2) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित लगे होंगे—

(क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो नई दिल्ली के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट या संदाय के किसी इलेक्ट्रानिक ढंग द्वारा संदेय एक हजार रुपए की आवेदन फीस ;

(ख) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो नई दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा संदेय एक लाख रुपए का लेबल प्रतिभूति फीस या संदाय किसी इलेक्ट्रानिक ढंग से ; और

(ग) उसमें विनिर्दिष्ट दस्तावेज ।

7. अनुज्ञा की मंजूरी—(1) विनियम 6 के अधीन प्राप्त आवेदन पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उसमें सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है । ब्यूरो इस प्रकार प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर विनियम 8 में विनिर्दिष्ट ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन प्ररूप 2 या इलेक्ट्रानिक प्ररूप में कक्ष वातानुकूलक पर लेबल चिपकाने के लिए आवेदक को अनुज्ञा जारी करेगा ।

(2) ब्यूरो प्ररूप 3 में रजिस्टर रखेगा और उसमें अनुज्ञा-पत्र धारी का नाम रजिस्टर करेगा ।

(3) उपविनियम (1) के अधीन इस प्रकार मंजूर की गई अनुज्ञा, तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी और जिसे तीन वर्ष की और अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा ।

(4) अनुज्ञा के नवीकरण के लिए कोई आवेदन इसकी समाप्ति से कम से कम तीन मास पूर्व किया जाएगा और उसके साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट में या संदाय के इलेक्ट्रॉनिक ढंग द्वारा संदेय पांच सौ रुपए की फीस लगी होगी ।

(5) उपविनियम (4) के अधीन नवीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर और यह समाधान हो जाने पर कि इसमें साथ सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है, ब्यूरो ऐसी प्राप्ति के एक मास की अवधि के भीतर प्ररूप 2 में अनुज्ञा की नवीकरण कर सकेगा ।

8. लेबल पर विशिष्टियों को प्रदर्शित करने के लिए निबंधन और शर्तें—प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र धारी निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा, अर्थात् :--

(क) कक्ष वातानुकूलक के लेबल पर प्रदर्शित सितारा स्तर अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित कक्ष वातानुकूलक के लिए ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप होगा ।

(ख) लेबल केवल ऐसे कक्ष वातानुकूलक के मॉडल पर चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा की मंजूरी दी गई है ;

(ग) अनुज्ञा-पत्र धारी अपनी लागत पर, लेबल को मुद्रित करेगा और कक्ष वातानुकूलक पर चिपकाएगा ;

(घ) अनुज्ञा-पत्र धारी यह सुनिश्चित करेगा कि कक्ष वातानुकूलक के लेबल पर प्रदर्शित सितारा स्तर हर समय अनुरक्षित रखा जाता है ;

(ङ) आवेदक विनियम 9 में यथाविनिर्दिष्ट लेबल फीस का संदाय करेगा ;

(च) अनुज्ञा-पत्र धारी लेबलीकृत उपस्कर के उत्पादन के ब्यौरों से अंतर्विष्ट एक विवरण और वित्तीय वर्ष के प्रत्येक तिमाही के आगामी समापन के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए देय उद्भूत लेबल की फीस प्रस्तुत करेगा ।

(छ) अनुज्ञा-पत्र धारी ऐसे निबंधन और शर्तों का पालन करेगा जिसे ब्यूरो विनिर्दिष्ट करे ।

9. लेबल फीस—(1) प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र धारी ब्यूरो को कक्ष वातानुकूलक इस प्रकार चिपकाए गए लेबल पर तीस रुपए की लेबल फीस का संदाय करेगा ।

(2) उपविनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट लेबल फीस प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से एक मास के भीतर वार्षिक रूप से संदाय की जाएगी :

परंतु इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल फीस का संदाय करने में असफल रहने पर विनियम 6 के उपविनियम (3) के खंड (ख) के अधीन ब्यूरो लेबल प्रतिभूति फीस से उस पर दस प्रतिशत ब्याज सहित संदत्त शोध्दय रकम वसूल कर सकेगा ।

10. लेबल प्रतिभूति फीस का प्रतिदाय—विनियम 9 के उपविनियम (2) के परंतुक के अधीन, कक्ष वातानुकूलक का विनिर्माण न होने पर अनुज्ञा-पत्र धारी लेबल प्रतिभूति के संदाय का हकदार होगा ।

11. ब्यूरो द्वारा सत्यापन—(1) ब्यूरो, स्वप्रेरणा से या प्राप्त शिकायत पर, यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन करेगा कि कक्ष वातानुकूलक सितारा स्तर और लेबल पर प्रदर्शित अन्य विशिष्टियों के अनुरूप और अनुज्ञा के अन्य निबंधन और शर्तों का अनुपालन करता है ।

(2) जहां उपविनियम (1) के अधीन प्राप्त की गई शिकायत का ब्यूरो द्वारा संस्थापित किसी प्रयोगशाला में कक्ष वातानुकूलक का परीक्षण अपेक्षित है वहां ऐसे परीक्षण करने के लिए समनुदेशिती को सूचना जारी की जाएगी और शिकायतकर्ता से ब्यूरो के पास परीक्षण, परिवहन और अन्य आनुषंगिक व्यय से संबंधित, जो ब्यूरो द्वारा अग्रिम में अवधारित किए जाएं ऐसे व्यय जमा करने के लिए कहा जाएगा।

(3) जहां परीक्षण के लिए प्रयोग किए जाने वाले कक्ष वातानुकूलक के नमूने परीक्षण में असफल हो जाते हैं, वहां ब्यूरो अनुज्ञा-पत्र धारी अपनी लागत पर कक्ष वातानुकूलक के प्रथम परीक्षण नमूनों की दुगुनी मात्रा सहित दूसरा परीक्षण को संचालित करेगा।

(4) जहां दूसरा परीक्षण भी असफल हो जाता है, वहां ब्यूरो यह निदेश देगा कि अनुज्ञा-पत्र धारी दो मास की अवधि के भीतर—

(क) कक्ष वातानुकूलक के लेबल पर प्रदर्शित सितारा स्तर को शुद्ध करेगा या परीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियों और कमियों को दूर करेगा ;

(ख) ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक को वापस लेगा ; और

(ग) विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित विशिष्टियों में परिवर्तन करेगा।

(5) जहां अनुज्ञा-पत्र धारी उपविनियम (4) के अधीन ब्यूरो द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां ब्यूरो,—

(क) अनुज्ञा वापस ले लेगा ;

(ख) उपभोक्तों को ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जो वह उपयुक्त समझे ;

(ग) अधिनियम की धारा 27 के अधीन ऐसे अनुज्ञा-पत्र धारी के विरुद्ध न्यायनिर्णायक कार्रवाइयां आरंभ करेगा।

12. अनुज्ञा का रद्दकरण—ब्यूरो, विनियम 7 के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञा को वापस ले सकेगा यदि अनुज्ञा-पत्र धारी,—

(क) विनियम 8 के अधीन विनिर्दिष्ट किन्हीं निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है ;

(ख) विनियम 9 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल फीस का संदाय करने में असफल रहता है।

अजय माथुर, महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/185/09]

प्ररूप 1

[विनियम 6 देखिए]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुकूलक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के अधीन कक्ष वातानुकूलक पर लेबल लगाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन ।

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथा तल, सेवा भवन

सेक्टर-1, आर.के.पुरम

नई दिल्ली-110066

भारत

मैं/हम जो कक्ष वातानुकूलक के विनिर्माणकर्ता हूँ/हैं.....में (कारोबार का पूरा नाम).....अभिनाम से (व्यष्टि या फर्म का पूरा नाम) कारोबार चला रहा हूँ/चला रहे हैं इसके ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुकूलक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के अधीन उपाबंध में परिभाषित कक्ष वातानुकूलक के संबंध में ब्यूरो द्वारा विहित लेबल के उपयोग के लिए प्राधिकार के समनुदेशन के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं ।

2. निर्माणकारी सुविधा : उपर्युक्त उपस्कर का.....(कंपनी का नाम) द्वारा और.....(कारखाने का नाम और पता) में विनिर्माण किया जाता है ।

3. जानकारी का ब्योरा : उपस्कर, कंपनी, विनिर्माण सुविधा, परिक्षण के लिए प्रमाण पत्र उत्पाद लेबल से संबंधित जानकारी के ब्योरे उपाबंध में दिए गए हैं । फर्मों या सोसाइटियों के रजिस्ट्रार/उद्योग निदेशक (लघु उद्योग की इकाइयों की दशा में) द्वारा जारी किए गए निगमन प्रमाणपत्र या फर्म के नाम तथा इसके विनिर्माणकारी परिसरों को अधिप्रमाणित करने वाले उसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों की एक फोटो प्रति संलग्न की जाती है ।

क) आवेदक : को (नाम और पदनाम) कंपनी/फर्म/आदि की ओर से इस आवेदन को करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और वह इस आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता के लिए उत्तरदायी होगा ।

ख) संपर्क व्यक्ति : को (नाम और पदनाम) इस आवेदन और लेबल के उपयोग के संबंध में ब्यूरो के साथ समन्वय करने के लिए संपर्क व्यक्ति प्राधिकृत किया जाता है ।

ग) मैं/हम ऊपर (क) या (ख) में परिभाषित प्राधिकृत व्यक्तियों में किसी परिवर्तन को जैसे ही यह होता है, ब्यूरो को संसूचित करने का वचन देता हूँ/देते हैं ।

4. क्वालिटी मानकों से अनुरूपता : मैं/हम.....(उपस्कर का नाम) के लिए.....को (अधिसूचना का नाम) अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट भा.मा./अन्य (मानक का नाम और संख्या).....के अनुसार क्वालिटी प्रणाली/अन्य मानकों (मानक का नाम और संख्या) के संबंध में भारतीय मानक/अन्य अंतराष्ट्रीय मानक ब्यूरो की पुष्टि करता हूँ/हैं । उपर्युक्त उपस्कर के संबंध में अनुज्ञप्ति/प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की जाती है ।

मेरे /हमारे पास उपस्कर की क्वालिटी में सघनता सुनिश्चित करने के लिए स्थित प्रयोगशाला के ब्यौरे :

क) परीक्षण ब्यौरे : (परीक्षण प्रक्रियाएं/नाम/संख्या)

ख) प्रत्ययन प्रास्थिति :

ग) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का अनुमोदन :

5. उक्त उपस्कर का उत्पादन और विक्रय के आंकड़े तथा उनका मूल्य मेरे/हमारे ज्ञान के अनुसार तथा प्राक्कलन निम्न प्रकार से हैं :

वर्ष	उत्पादन	विक्रय	उपस्कर का अधिकतम फुटकर मूल्य (रुपए)
पिछले वर्ष..... से.....तक चालू वर्ष..... से.....तक (प्राक्कलन)			

6.(क) डीडी सं०.....तारीख...../इलेक्ट्रानिक ढंग द्वारा एक हजार रुपए..... की आवेदन फीस संदत्त की गई है ।

(ख) डीडी सं०.....तारीख...../इलेक्ट्रानिक ढंग द्वारा एक लाख रुपए.....की लेबल प्रतिभूति फीस संदत्त की गई है ।

(ग) मैं/हम प्रति लेबल तीस रुपए लेबल फीस का संदाय करने के लिए सहमत हूँ/हैं ।

7. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधन और शर्तों का अनुपालन करता हूँ/करते हैं और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी जांच के लिए सभी युक्तियुक्त सुविधाओं का विस्तार करने के लिए सहमत हूँ/हैं ।

8. मैं/हम सत्यापन तथा चुनौती परीक्षण के लिए नमूने के चयन के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को प्राधिकृत करता हूँ/करते हैं और इस बाबत ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं ।

9. मैं/हम वचनबंध करता हूँ/करते हैं कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में आवेदन में दी गई जानकारी सही है और अगर दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदन अस्वीकृत किया जाए ।

तारीख.....हस्ताक्षर.....(वर्ष)

नाम.....

पदनाम.....

(फर्म का नाम)

के लिए और उसकी ओर से
फर्म की मुद्रा

उपाबंध

[प्रत्येक 1 का पैरा 3 देखिए]
जानकारी के ब्यौरे

1. उपस्कर के ब्यौरे

विनिर्माणकर्ता का नाम और ब्रांड
कक्ष वातानुकूलक का प्रकार : एकिक/स्प्लिट
शीतलन क्षमता (वाट)
कक्ष वातानुकूलक में विद्युत इनपुट (वाट)
विनिर्माण का वर्ष
कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या
भारतीय मानक संस्थान के प्रमाणपत्र का ब्यौरा (प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)
क्वालिटी प्रणाली प्रमाणपत्र के ब्यौरा (प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)

क्रम सं०	मॉडल का नाम और संख्या	मापा गया मूल्य				रेटेड मूल्य				टिप्पणियाँ
		शीतलन क्षमता	विद्युत इनपुट	ईईआर	मापा गया सितारा स्तर या ऊर्जा दक्षता स्तर	शीतलन क्षमता	विद्युत इनपुट	ईईआर	सितारा स्तर या ऊर्जा दक्षता स्तर घोषित की गई सितारा रेटिंग	

2. कंपनी के ब्यारे

कंपनी का नाम :	
पता	
पिनकोड	
राज्य	
फोन नं०	
फैक्स नं०	
ई-मेल	
वेब साइट	

3. विनिर्माण सुविधा के ब्यारे

पता	
पिनकोड	
राज्य	
फोन नं०	
फैक्स नं०	
ई-मेल	
वेब साइट	
कोई अन्य ब्यारे	

4. परीक्षण के ब्यारों के लिए प्रमाणन

परीक्षण मानक का नाम, संख्या और वर्ष	
परीक्षण प्रयोगशाला का नाम	
प्रत्यायन प्रस्थिति (प्रत्यायन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	

पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं०	
फैक्स नं०	
ई-मेल	
वेब साइट	

5. उत्पाद के बारे

प्रारंभ की तारीख	
बीईई के लिए आवेदन किए गए लेबलों की संख्या	
प्रथम वर्ष के लिए-	
दूसरे वर्ष के लिए-	
तीसरे वर्ष के लिए	
उत्पाद क्रम सं०	 से तक
परीक्षण रिपोर्ट	
नमूना रिपोर्ट	

6. लेबल के बारे

ऊर्जा दक्षता अनुपात	
कक्ष वातानुकूलक का प्रकार :	
एकिक/स्पिल्ट	
मॉडल/वर्ष	
व्यापार चिन्ह/ब्रांड नाम	
शीतलन क्षमता (वाट)	
विद्युत खपत (वाट)	
गति संपीड़क अंतर हां/नहीं	
उष्ण पंप हां/नहीं	

7. संदाय के ब्यौरे यदि अग्रिम में संदाय करना प्रस्तावित है (वैकल्पिक)

लेबलों की संख्या	प्रति इकाई लेबल लगाने की फीस	कुल रकम/संदाय के ब्यौरे
		रकम : क्रॉस किए गए बैंक ड्राफ्ट के ब्यौरे तारीख :

तारीख

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

.....के लिए और उसकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुद्रा

प्ररूप 2

(विनियम 7 देखिए)

अनुज्ञा/अनुज्ञा का नवीकरण

सं.....

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

नई दिल्ली, तारीख

सेवा में

.....
.....

1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुकूलक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में, ब्यूरो इस उपाबद्ध में दिए गए अनुमोदन के ब्यौरे के अनुसार लेबल लगाने के लिए अनुज्ञात करता है।

2. यह अनुज्ञा निम्नलिखित के अध्यक्षीन है—

(क) कक्ष वातानुकूलक के लिए के लेबल पर दर्शित सितारा स्तर अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित कक्ष वातानुकूलक के लिए ऊर्जा खपत मानक के रूप होगा ;

(ख) कक्ष वातानुकूलक के केवल ऐसे मॉडलों पर लेबल लगाया जाएगा जिसमें लिए अनुज्ञा की मंजूरी की गई है ;

(ग) अनुज्ञा-पत्र धारी की लागत पर कक्ष वातानुकूलक पर लेबल की मुद्रित किया जाएगा और लगाया जाएगा।

(घ) अनुज्ञा-पत्र धारी यह सुनिश्चित करेगा कि कक्ष वातानुकूलक के लेबल पर सितारा स्तर को हर समय अनुरक्षित किया जाएगा ;

(ङ) अनुज्ञा-पत्र धारी प्रति लेबल तीस रुपये की लेबल फीस का संदाय करेगा ;

(च) अनुज्ञा-पत्र धारी, वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत के आगामी मास के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए लेबलीकृत उपस्कर के उत्पादन के ब्यौरे और उद्भूत देय लेबल फीस का विवरण ब्यूरो को प्रस्तुत करेगा और वही ब्यौरे ब्यूरो को स्वाचालित प्रणाली से भी प्रस्तुत किए जाएंगे ;

(छ) अनुज्ञा-पत्र धारी कक्ष वातानुकूलक के ऐसे अन्य ब्यौरे उपलब्ध कराएगा जैसा जब ब्यूरो चाहे, जिसके लिए अनुज्ञा को मंजूरी दी गई है।

3. यह अनुज्ञा.....से.....तक विधिमान्य होगी और इसे और यथाविहित रूप में नवीकृत किया जा सकेगा । आप ब्यूरो के पूर्व अनुमोदन के सिवाय अनुज्ञा की विधिमान्य अवधि के दौरान बाजार से कक्ष वातानुकूलक को वापस नहीं लेंगे ।
4. उपस्कर के लिए एकल लेबल श्रृंखला.....है और इसे लेबल पर अनुमोदित डिजाइन के अनुसार प्रकट होना चाहिए ।
5. जहां पुनर्विलोकन पर सितारा स्तर योजना को ब्यूरो द्वारा संशोधित किया जाता है और कक्ष वातानुकूलक का सितारा स्तर संशोधित हो जाता है, वहां आवेदक नयी अनुज्ञा प्राप्त करेगा ।
6. तारीख.....को हस्ताक्षरित किया गया और मुहर बंद किया गया ।

(सचिव)
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

उपाबंध
(प्ररूप 2 का पैरा 1 देखिए)
अनुमोदन के ब्यौरे

1. उपस्कर के ब्यारे

व्यापार चिन्ह/ ब्रांड नाम
कक्ष वातानुकूलक का प्रकार : एकिक/स्पिल्ट
शीतलन क्षमता (वाट)
कक्ष वातानुकूलक में विद्युत इनपुट (वाट)
विनिर्माण का वर्ष

[illegible]

2. लेबल के ब्यौरे

सितारा रेटिंग/सितारा स्तर	
ऊर्जा दक्षता अनुपात	
कक्ष वातानुकूलक का प्रकार : एकिक/स्प्लिट	
मॉडल/वर्ष	
व्यापार चिन्ह/ब्रांड नाम	
शीतलन क्षमता (वाट)	
विद्युत खपत (वाट)	
गति संपीड़क अंतर हां/नहीं	
उष्मा पंप हां/नहीं	
यूनीक लेबल श्रृंखला कोड	

3. कक्ष वातानुकूलक पर लगाए जाने वाले मुद्रित लेबल का अनुमोदित नमूना ।



ENERGY EFFICIENCY	
2.90	
EER (W/W)	

Appliance/Type	XX/Split
Brand	YYYY
Model/Year	ABC/2007
Cooling Capacity (W)	XX
Power Consumption (W)	XX
Variable Speed Compressor	Yes/No
Heat Pump	Yes/No



C. NSERVE IT
BEE/XYZ/00/00

*Under test condition, when tested in accordance with XXX.
Actual electricity consumption will depend on it, with the appliance being tested.

पत्र में यूनिक लेबल श्रृंखला कोड दिया गया है जिसे कक्ष वातानुकूलक की आउटर कास्टिंग पर लगाए गए लेबल पर उल्लिखित किया जाता है।

4. लेबल डिजाइन, आकार, रंग स्कीम और लेबल की अंतर्वस्तु तथा ब्यूरो लोगों की रंग स्कीम को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुकूलक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 की अनुसूची के यथा विनिर्दिष्ट होगी।

तारीख

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

.....के लिए और उसकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुद्रा

प्ररूप 3

[विनियम 7(2) देखिए]

अनुज्ञा-पत्र धारियों का रजिस्टर

क्रम सं०	आवेदन संख्यां अनुज्ञा-पत्र और तारीख	पत्र और की	अनुज्ञा-पत्र धारी का नाम और ब्यौरे (संपर्क व्यक्ति, पता पिन कोड, राज्य, फोन नं०, फैक्स नं०, ई-मेल, वेबसाईट)	उपस्कर के ब्यौरे जिसके लिए अनुज्ञा मंजूर की गई है।	घोषित सितारा स्तर या दक्षता स्तर	बीईई अनुज्ञा संख्या और यूनिक लेबल श्रृंखला	वह अवधि जिसके लिए अनुज्ञा मंजूर की गई है
1	2	3	4	5	6	7	

लेबल प्रतिभूति की सभी रकम	क्रास डिमांड ड्राफ्ट (ब्यौरे) इलेक्ट्रानिक संव्यवहार (ब्यौरे) द्वारा प्राप्त लेबल प्रतिभूति फीस : तारीख :	आवेदन फीस, प्राप्त रकम का ब्यौरा (क्रास डिमांड ड्राफ्ट ब्यौरा/इलेक्ट्रानिक संव्यवहार ब्यौरे : तारीख :
8	9	10

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में लगाए गए लेबल की संख्या	देय लेबल फीस की रकम	लेबल फीस, प्राप्त रकम का ब्यौरा (क्रास डिमांड ड्राफ्ट ब्यौरे/इलेक्ट्रानिक संव्यवहार ब्यौरा) ; तारीख :)	टिप्पणियां
11	12	13	14

**THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th November, 2009

No. 2/11(5)/03-BEE. 2.— The following draft of certain regulations which the Bureau, with the previous approval of the Central Government, proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (d) of section 14 read with clause (i) of sub-section (2) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), is hereby published as required by sub-section (1) of section 58 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the aforesaid period of forty five days shall be taken into consideration by the Bureau.

Objection or suggestion, if any, may be addressed to the Director - General, Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power, 4th Floor, Sewa Bhavan, R. K. Puram, Sector-1, New Delhi – 110 066.

Draft Regulations

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners) Amendment Regulations, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 2, in sub-regulation (1),-

(a) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-

“(aa) “Form” means a form appended to these regulations;”;

(b) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-

“(ca) “permittee” means a person to whom permission has been granted under regulation 7;”;

3. In the principal regulations, after regulation 5, the following regulations shall be inserted, namely:-

"6. Permission for display of label.- (1) No label shall be affixed on a room air conditioner without obtaining the permission of the Bureau.

(2) For the purpose of obtaining permission of the Bureau under sub-regulation (1), an application shall be made in Form-I or in electronic form;

Provided that separate application shall be made for each model of room air conditioner.

(3) Every application under sub-regulation (2) shall be accompanied by –

(a) an application fee of rupees one thousand payable by demand draft drawn in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or by any electronic mode of payment;

(b) a label Security Fee of rupees one lakh payable by demand draft drawn in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or by any electronic mode of payment;

(c) documents specified therein.

7. Grant of permission.- (1) On receipt of an application under regulation 6 and after being satisfied that all requirements therein are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, grant, subject to such terms and conditions as are specified in regulation 8, permission for affixing label on room air conditioner in Form-II or in electronic form;

(2) The Bureau shall maintain a register in Form-III and enter the name of permittee therein.

(3) The permission so granted under sub-regulation (1) shall be valid for a period of three years and may be renewed for a further period of three years by the Bureau.

(4) An application for renewal of permission shall be made at least three months before its expiry and shall be accompanied by a fee of rupees five hundred payable by demand draft drawn in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or by any electronic mode of payment.

(5) On receipt of application for renewal under sub-regulation (4) and after being satisfied that all requirements are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, renew permission as in Form II.

8. Terms and conditions for display of particulars on label. - Every permittee shall comply with the following terms and conditions, namely:-

- (a) The star level displayed on the label of the room air conditioner shall conform to energy consumption standards for room air conditioner notified under clause (a) of section 14 of the Act;
- (b) the label shall be affixed only on such model of room air conditioner for which permission has been granted;
- (c) the label shall be printed and affixed on the room air conditioner at the cost of the permittee;
- (d) the permittee shall ensure that the star level displayed on the label of room air conditioner shall be maintained at all time;
- (e) the permittee shall pay the label fee as specified in regulation 9;
- (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year;
- (g) the permittee shall comply with such other terms and conditions which the Bureau may specify.

9. Label Fee. - (1) Every permittee shall pay to the Bureau a label fee of rupees thirty on each label so affixed on the room air conditioner.

(2) The label fee specified under sub-regulation (1) shall be paid annually within one month from the date of closure of each financial year:

Provided that on failure to pay the label fee within the period so specified, the Bureau may recover the amount due with interest thereon at ten per cent. from the Label Security Fee paid under clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 6.

10. Refund of Label Security Fee.- Subject to the proviso to sub-regulation (2) of regulation 9, a permittee shall be entitled to a refund of the Label Security Fee on ceasing to manufacture room air conditioner.

11. Verification by the Bureau - (1) The Bureau may, either *suo motu*, or on the complaint received by it, carry out verification to ensure that the room air conditioner conforms to the star level and other particulars displayed on its label and that it complies with the other terms and conditions of permission.

(2) Where upon a complaint received under sub-regulation (1), the Bureau is required to carry out verification, by testing the room air conditioner in a laboratory, a notice shall be issued to the permittee for carrying out such testing and the complainant shall be called upon to deposit such expenses relating to testing, transportation and other incidental expenses with the Bureau, within such time, as may be determined by it.

(3) Where samples of room air conditioner used for testing fails the test, the permittee shall be afforded another opportunity and the Bureau shall conduct a second test with twice the quantity of room air conditioners used in the first test, at the cost of the permittee;

(4) Where the second test also fails, the Bureau shall direct that the permittee shall, within a period of two months,-

- (a) correct the star level displayed on the label of the room air conditioners or remove the defects and deficiencies found during testing;
- (b) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
- (c) change the particulars displayed on advertising material.

(5) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (4), the Bureau shall -

- (a) withdraw the permission ;
- (b) notify the consumers in such manner as it deems fit;
- (c) initiate adjudication proceedings against such permittee under section 27 of the Act.

12. Cancellation of Permission - The Bureau may cancel the permission granted under regulation 7, if the permittee -

- (a) fails to comply with any of the terms and conditions specified under regulation 8;
- (b) fails to pay label fee within the period specified under regulation 9.

AJAY MATHUR, Director-General

[ADVT-III/4/Ext./185/08]

41053 40109-3

FORM I
[See regulation 6]

APPLICATION for permission to affix label on Room Air Conditioners under the
Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on Label of
Room Air Conditioners) Regulations, 2009

THE DIRECTOR GENERAL
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
(MINISTRY OF POWER, GOVT. OF INDIA)
4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,
SECTOR – 1, R.K.PURAM
NEW DELHI-110 066
INDIA.

I/ We are the manufacturers of room air conditioners carrying on business at _____ (full business address) under the style of _____ (full name of individual or firm) hereby apply for permission to affix label on room air conditioners as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on the label of Room Air Conditioners) Regulations, 2009.

2. Manufacturing Facility: The above equipment is manufactured or imported by _____ (Name of the company) and is manufactured at _____ (Name and address of the factory)

3. Details of Information: The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility, certification for test, products, labels and payment is given in Annexure . A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies/Director of Industries (in case of Small Scale Units) Or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.

a) Applicant: _____ (Name and Designation) is authorised to make this application on behalf of the company/firm/etc, and will be responsible for accuracy of the information supplied with this application.

b) Contact Person: _____ (Name and Designation) is the authorized contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and the use of the Label.

c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorized persons defined in (a) or (b) above as soon as it takes place.

4. Conformation to Quality Standards: I/We conform to the Bureau of Indian Standard/other international standards in respect of Quality System/Other standards in accordance with IS/Others (name and number of the standard) _____ as specified in the Notification on _____ (title of the Notification) for the _____ (name of the equipment). A copy of the License/certificate in respect of the above equipment is enclosed.

I/We have testing arrangements at _____ (Name and address of the laboratory) for ensuring consistency in quality of the equipment.

Lab details:

- a) Tests details: (Test procedures/name/number)
- b) Accreditation status:
- c) Bureau of Energy Efficiency approval:

5. Production and sales figures of the said equipment and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	MRP of the equipment (Rs.)
Last year from _____ to _____			
Current year from _____ to _____ (estimate)			

6.(a) An application fee of rupees one thousand _____ has been paid by D.D.No. dated/electronic mode.

(b) A label Security Fee of rupees one lakh _____ has been paid by D.D.No. dated/electronic mode.

(c) I/We agree to pay the labelling fee of rupees thirty per label specified by the Bureau.

7. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.

8. I/we authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

9. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and should any of the information supplied be found to be incorrect, the application may be rejected forthwith.

Dated this Day of (Year)

Signature

Name

Designation

For and on behalf of

.....
(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

Annexure
[See Para 3 of Form 1]

Details of information

1. Details of the Equipment

Trade Mark (s)/Brand Name(s)
Type of Room Air Conditioner: Unitary/Split
Cooling Capacity (Watts)
Power Input of Room Air Conditioner (Watts)
Year of manufacturing
Company's Registration No.
ISI certificate details (Attach copy of the Certificate)
Quality System certificate details (Attach copy of the Certificate)

Sl. No.	Model Name / No.	Measured Values				Rated Values				Remarks
		Cooling Capacity	Power Input	EER	Star Level or Energy Efficiency Level Measured	Cooling Capacity	Power Input	EER	Star Level or Energy Efficiency Level Declared Star Rating	

2. Details of the Company

Name of the Company:	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	

3. Details of the Manufacturing Facility

Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	
Any other details	

4. Certification for Test details

Name of the Test standard, No. and Year	
Name of the test Laboratory	
Accreditation status (Attach copy of the accreditation certificate)	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	

5. Product Details

Date of commencement	
Number of labels applied for BEE for the first year - for the second year - for the third year -	
Product Serial No.	From _____ To _____
Test report in the prescribed format	
Sample Label	

6. Label Details

Energy Efficiency Ratio	
Type of Room Air Conditioner: Unitary/Split	

Model / Year	
Trade Mark (s)/Brand Name(s)	
Cooling Capacity (Watts)	
Power consumption(Watts)	
Variable Speed Compressor Yes/No	
Heat Pump Yes/No	

6. Payment details, if Proposed to pay in advance (Optional).

No. of Labels	Labeling fee per unit	Total Amount /Details of Payment
		Amount: Crossed bank draft Details: Date:

Date

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

.....
(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

.....

FORM II
[See Regulation 7]
Permission / Renewal of Permission
No.
Bureau of Energy Efficiency
New Delhi, Dated

To

.....
.....

1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on Labels of room air conditioner) Regulations, 2009, the BUREAU hereby permits you to affix Label as per details of approvals set out in the Annexure.
2. This permission is subject to-
 - (a) the star level displayed on the label of the room air conditioner shall conform to energy consumption standards for room air conditioner notified under clause (a) of section 14 of the Act;
 - (b) the label shall be affixed only on such model of room air conditioner for which permission has been granted;
 - (c) the label shall be printed and affixed on the room air conditioner at the cost of the permittee;
 - (d) the permittee shall ensure that the star level displayed on the label of room air conditioner shall be maintained at all time;
 - (e) the permittee shall pay the label fee of rupees thirty per label;
 - (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through automated system.
 - (g) the permittee shall make available such other details of room air conditioner as and when sought by the Bureau for which the permission has been granted.
3. This permission shall be valid from to..... and may be renewed as prescribed. You shall not withdraw the room air conditioner from the market during the validity period of permission except with the prior approval of the Bureau.
4. The unique label series code for the equipment is, and should appear on the label as per the approved design.
5. Where the star level plan on review is modified by the Bureau and the star level of the room air conditioner stand modified, you shall seek the permission afresh.
6. Signed, Sealed and Dated this Day of month.....year.

(Secretary)
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

Annexure
[See para 1 of Form II]

Details of Approvals

1. Details of the Equipment

Trade Mark (s)/Brand Name(s)
Type of Room Air Conditioner: Unitary/Split
Cooling Capacity (Watts)
Power Input of Room Air Conditioner
Year of manufacturing

Sl. No.	Model Name / No.	Measured Values				Rated Values				Remarks
		Cooling Capacity	Power Input	EER	Star Level or Energy Efficiency Level Measured	Cooling Capacity	Power Input	EER	Star Level or Energy Efficiency Level Declared Star Rating	

2. Label Details

Star Rating / Star level	
Energy Efficiency Ratio	
Type of Room Air Conditioner: Unitary/Split	
Model / Year	
Trade Mark (s)/Brand Name(s)	
Cooling Capacity (Watts)	
Power consumption(Watts)	
Variable Speed Compressor Yes/No	
Heat Pump Yes/No	
Unique label series code	

3. Approved Specimen of printed label to be affixed on the room air conditioner.



ENERGY EFFICIENCY	
2.90*	
EER (W/W)	

Appliance/Type	: RAC / XXX
Brand	: XXX
Model/Year	: ABC/YYYY
Cooling Capacity (W)	: XXXX
Power Consumption (W)	: XXXX
Variable Speed Compressor	: Yes/No
Heat Pump	: Yes/No



C. RESERVE IT

The unique label series code provided in the letter has to be mentioned in the label affixed on the room air conditioner.

4. The label design, size, colour scheme, material to be used for the label and the content of the label and colour scheme of the Bureaus' logo shall be as specified in the schedule to the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners) Regulations, 2009.

Date

Signature

Name

Designation

For and on behalf of

.....
(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

Form III
[See Regulation 7 (2)]

Register of Permittees

Sl.No.	Application No. and Date of Permission	Name and details of the permittee (Contact Person, Address, Pin Code, State, Phone No., Fax No., E-Mail, Web site)	Details of equipment for which the permission has been granted	Star level or Efficiency level declared	BEE permission number and unique label series.	Period for which the permission has been granted
1	2	3	4	5	6	7

Amount of label security fee	Label Security Fee Received by (Crossed Demand draft (Details)/ Electronic transaction (Details) : Date:)	Application Fees details of Amount Received (Crossed Demand draft Details/ Electronic transaction Detail's: Date:)
8	9	10

Number of labels affixed at the end of the each financial year	Amount of labelling fee due	Labelling fees details of Amount Received (Crossed Demand draft Details/ Electronic transaction Detail's : Date:)	Remarks
11	12	13	14